पुन्नु सिंह **बनाम** राम सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 13 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/48

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बावत निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा न तो कोई इकरारनामा प्रार्थी के साथ किया गया और न ही प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई भूमि तबादला में प्राप्त की है। प्रार्थी के नाम 15 बी.एल.डी.बी. में मुरब्बा नम्बर 235/428, 234/428 में कभी भी कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रही है और प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.12.1997 का तथाकथित फर्जी एंव मिथ्या इकरारनामा कूटरचना कर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हडपने के बेईमानीपूर्वक आशय से तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 14 ता 25 पर अप्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त निरंतर आज भी है। लिहाजा अप्रार्थीगण चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 34 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाता है। तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)